ACJ न्यामूर्ति एम. एम. कुमार के समक्ष,
न्यामूर्ति राजीव नारायण रैना
हरदीप सिंह सुंद्रिया, अधिवक्ता और अन्य-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता
सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2010 का 8756
2नवंबर, 2011

भारत का संविधान, 1950 अनुछेद 226-भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956-धारा 23-हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 1987-धारा 7,8-संज्ञान में आई झूठी और काल्पनिक चिकित्सा कानूनी रिपोर्ट तैयार करने की अवैध गतिविधि-अपराधों में निर्दोष नागरिकों को शामिल करने के लिए प्राप्त गलत चिकित्सा प्रमाण पत्र-मामले को सी. बी. आई. को सौंपने और गलती करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश-विशिष्ट उदाहरणों का हवाला दिया गया जहां चिकित्सा प्रमाण पत्र असंगत परिफल के लिए जारी किए गए थे-विशेष जांच दल और विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन-पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में सरकारी और निजी डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण-पी. आई. एल. का निपटारा-अदालत द्वारा जारी निर्देश।

अभिनिर्धारित, हम महसूस करते हैं कि कुछ निर्देश आवश्यक है, जो नीचे दिए गए है:

(ए) स्पेशल मेडिकल बोर्ड, पीजीआईएमएस, रोहतक और एसआईटी को एक संदर्भ दिया गया है। हमें लगता है कि ये दोनों एजेंसियां एक-दूसरे के साथ समन्वय में नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेंगी।यदि किसी भी पुलिस स्टेशन में झूठी और काल्पनिक चिकित्सा रिपोर्ट या अन्य संबंधित मुद्दे से

संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो एस. आई. टी. की मदद से इसकी जांच की जानी चाहिए। इस मामले को विशेष चिकित्सा बोर्ड, पीजीआईएमएस, रोहतक को उसकी राय के लिए भेजा जाए।इन एजेंसियों द्वारा की गई प्रगति को फरवरी 2012 के अंत तक स्थिति रिपोर्ट के रूप में दाखिल किया जाए, जिसे इस न्यायालय के समक्ष रखा जाए। स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति दो सप्ताह पहले निदेशक अभियोजन, हरियाणा को भी जाए।

निदेशक अभियोजन, हरियाणा भी झूठी, मनगढ़ंत और प्राप्त चिकित्सा रिपोर्टों और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित इन सभी मामलों के अभियोजन के चरण का खुलासा करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट भेजेगा।इसमें किसी भी नवीनतम शिकायत की स्थिति और निदेशक अभियोजन, हरियाणा द्वारा फरवरी, 2012 के अंत तक दायर की जाने वाली स्थिति रिपोर्ट भी शामिल होगी, जिसे इस न्यायालय के समक्ष रखा जाए।

(ख) किसी भी अन्य शिकायत को प्रकट और सामने लाने के लिए, प्रतिवादी-हरियाणा राज्य अपने मुख्य सचिव द्वारा से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस मुद्दे का व्यापक प्रचार करेगा।इस संबंध में गलत, मनगढ़ंत और प्राप्त चिकित्सा रिपोर्टों और अन्य संबंधित मुद्दों की शिकायतें आमंत्रित करने के लिए प्रिंट मीडिया में एक सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए।अंग्रेजी दैनिक 'द ट्रिब्यून', 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'हिंदुस्तान टाइम्स' समाचार पत्रों को शामिल करके प्रिंट मीडिया में नोटिस जारी किया जाएगा।इसी तरह, हिंदी दैनिक 'पंजाब केसरी' और 'भास्कर'।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, इस तरह की जानकारी को आम जनता को झूठे, मनगढ़ंत और प्राप्त चिकित्सा रिपोर्टों से संबंधित शिकायतें आमंत्रित करने के लिए नोटिस के साथ प्रसारित किया जाना चाहिए।इस संबंध में व्यापक दर्शकों वाले वास्तविक चैनलों का चयन हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा किया जा सकता है।

(ग) डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में स्थिति रिपोर्ट वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और कल्याण विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के चरण के साथ दायर की जानी चाहिए।फरवरी, 2012 के अंत तक आवश्यक कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) याचिकाकर्ता और जनता का कोई अन्य सदस्य इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका के विषय से संबंधित कोई अन्य आवेदन दायर कर सकते हैं। जिसे रजिस्ट्री इस पीठ के समक्ष रखेगी।

(पैरा 12)

राजेश खंडेलवाल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए,

कुलवीर नरवाल, एडिशनल। ए. जी. हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए ।

न्यामूर्ति एम. एम. कुमार, ए सी जे ।

(1) जनहित में दायर तत्काल याचिका ने इस न्यायालय के ध्यान में सरकारी और साथ ही निजी क्षेत्र में धोखाधड़ी और गलती करने वाले चिकित्सा व्यवसायियों को लाया है जो गलत और काल्पनिक चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट (एम. एल. आर.)/चिकित्सा प्रमाण पत्र/चिकित्सा राय तैयार करने की अवैध गतिविधि में लिप्त हैं।इस तरह की रिपोर्टों को ऐसे अपराधों में निर्दोष नागरिकों को शामिल करने का आधार बनाया जाता है जो सीधे आपराधिक न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कई निर्दोष व्यक्तियों पर झूठा मुकदमा चलाया जाता है।याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है कि वे मामले की उचित और गहन जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षिप्तता के लिए 'सीबीआई') को सौंप दें।याचिकाकर्ताओं ने हिसार से कुछ मामलों को निर्दिष्ट किया है जैसे कि भा.दं.सं. सी. की धारा 420,468,471,464,465,195,197,40,327 और 34, पी. एस.

सिविल लाइन्स, हिसार; भा.दं.सं. सी. की धारा 195,196,197,420,468 और 120-बी भा.दं.सं. सी., पी. एस. सिटी, हिसार और भा.दं.सं. सी. की धारा 420,195,511 और 34, पी. एस. सिविल लाइंस, हिसार (पी-1 में संदर्भित) के तहत भा.दं.सं. सी. की धारा 195,196,197,420,468 और 120-बी भा.दं.सं. सी., पी. एस. सिटी, हिसार और भा.दं.सं. आर. संख्या 132, दिनांक प्राथमिकी 1 के तहत भा.दं.सं. आर. संख्या 365, दिनांक प्राथमिकी 2।उपरोक्त प्राथमिकियों में चिकित्सा अधिकारियों या निजी चिकित्सकों पर किसी न किसी अपराध का आरोप लगाया गया है।याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया है कि सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और निजी चिकित्सा व्यवसायियों के खिलाफ भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के रूप में उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया जाए।

(2) रिट याचिका में किए गए अभिकथनों के संक्षिप्त तथ्यों पर पहले ध्यान दिया जा सकता है।हिसार के सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. भूप सिंह खत्री के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं।पैरा 2 में दिए गए अन्य नाम निजी डॉक्टरों के हैं, जिनमें डॉ. जलवीर जांगड़ा, डॉ. सी. आर. गर्ग, डॉ. अनंत राम और उनके सहायक, कुलदिप अनंत राम मेडिकल सेंटर, चूरामणी कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोड, हिसार, दलबीर सिंह के बेटे बलविंदर, मेट्रो अस्पताल, डबरा चौक ब्रिज के पास, हिसार, सपरा अस्पताल, राजगढ़ रोड, हिसार, लाइफलाइन अस्पताल, हिसार और कई अन्य निजी अस्पताल शामिल हैं।उपरोक्त प्राथमिकियों में दिए गए विभिन्न नामों का एक विशिष्ट संदर्भ दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये सभी अनाचार पिछले कुछ समय से प्रशासन की नाक के नीचे 10 वर्षों से चल रही है और इस

कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।चोट, गंभीर चोट, हत्या के प्रयास और हत्या से संबंधित कई आपराधिक मामले कमोबेश चिकित्सा साक्ष्य जैसे एम. एल. आर./चिकित्सा राय/चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि पर आधारित हैं। यह किसी भी कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि यदि

चिकित्सा रिपोर्टों को प्रमाणित नहीं किया जाता है तो यह आपराधिक मुकदमों के किसी भी पक्ष के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा।अपने साधनों और समृद्धि के कारण ताकतवर और शक्तिशाली व्यक्ति अपनी पसंद की चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी डॉक्टरों को प्रभावित कर रहे हैं।काल्पनिक चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार चोटों की खरीद ने निर्दोष के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंच तैयार किया क्योंकि इस तरह के प्रमाण पत्र ने इसे अन्य सबूतों में हेरफेर करके गंभीर चोट या हत्या या हत्या के प्रयास का मामला प्रमाणित किया।यह अक्सर से अधिक हो रहा है जैसा कि तत्काल कार्यवाही से स्पष्ट है।ऐसे पराक्रमी और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में दर्ज की गई विभिन्न शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है।अपने रुख को मजबूत करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रेस में भी आने वाली विभिन्न रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

(3) प्रस्ताव के नोटिस के जारी होने के जवाब में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने पुलिस अधीक्षक, हिसार के माध्यम से अपना जवाब दाखिल किया है।प्रारंभिक प्रस्तुतियों में, याचिकाकर्ता द्वारा मेट्रो अस्पताल, हिसार के खिलाफ पुलिस को की गई शिकायत का संदर्भ इस आरोप के साथ दिया गया है कि भा.दं.सं. की धारा 148/149/323 325 के तहत एक झूठी प्राथमिकी संख्या 165 दिनांकित 25.12.2009 दर्ज की गई थी, जो उसके और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज की गई थी।बाद में भा.दं.सं. की धारा 307 जोड़ी गई।झूठी मेडिकल रिपोर्ट के आरोप में हिसार के सपरा अस्पताल की मिलीभगत का मामला दर्ज किया गया था।इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने कुछ दलालों का पता लगाया और सिटी स्कैन, मेट्रो अस्पताल के कर्मचारी बलविंदर सिंह और ए. एम. सी. अस्पताल के कर्मचारी कुलदिप से संपर्क किया।उन्होंने उनसे कहा कि वे मेट्रो अस्पताल, ए. एम. सी. अस्पताल या अन्य निजी अस्पतालों के डॉक्टर से भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत आरोपों का समर्थन करने के लिए एक एम. एल. आर. की व्यवस्था 1,50,000 रुपये में कर देंगे। पुलिस ने जाल बिछाने में उनकी मदद की जो सफल रही। याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए 50,000/- रुपये बरामद किए गए जो पुलिस द्वारा पंजीकृत मुद्रा नोटों से मेल खाते थे।तदनुसार, भा.दं.सं. की धारा 420/195/511/34 के तहत एक प्राथमिकी संख्या 132 दिनांकित 23.03.2010 डॉ. संजय वर्मा, बलविंदर और कुलदिप के खिलाफ

हरदीप सिंह सुंद्रिया, अधिवक्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(न्यामूर्ति एम. एम. कुमार)

पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, हिसार में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी बलविंदर सिंह ने इस आशय का एक खुलासा बयान दिया कि उसने 50, 000/- रुपये केवल डॉ. संजय वर्मा द्वारा रुपये 1,50,000 लेने के बाद वांछित चिकित्सा राय देने का वादा करने के बाद स्वीकार किए। भा.दं.सं. की धारा 307 जोड़ी गई।

(4) उपरोक्त मामले को मीडिया में रिपोर्ट किया गया था, इसके बाद प्रभावित व्यक्तियों द्वारा जिला हिसार के सरकारी और निजी डॉक्टरों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके कारण आदेश दिनांकित 07.05.2010 के अनुसार एक विशेष जांच दल (संक्षिप्त के लिए 'एसआईटी') का गठन हुआ। विशेष जांच दल ने झूठे और मनगढ़ंत एम. एल. आर. (आर-1) से संबंधित सभी शिकायतों की जांच की।विशेष जाँच दल का पुनर्गठन 31.07.2007 (R-2) को किया गया था।पुलिस अधीक्षक, हिसार द्वारा किए गए अनुरोध (आर-3) पर पीजीआईएमएस, रोहतक के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा एक विशेष चिकित्सा बोर्ड का भी गठन किया गया है, ताकि हिसार के निजी हस्पतालो के डॉक्टरों द्वारा सरकारी चिकित्सा अधिकारियों की मिलीभगत से की गई किसी भी गड़बड़ी को उजागर किया जा सके।तदनुसार, भा.दं.सं. की धारा 420/195 511/34/120-बी, आई. पी. सी. पी. एस. सिविल लाइन्स, हिसार में मामले की प्राथमिकी संख्या 132 की जांच के दौरान, विभिन्न पुलिस थानों में सरकारी और निजी डॉक्टरों के खिलाफ 30.08.2010 तक छह और मामले दर्ज किए गए, जिनकी जांच (आर-4) चल रही है ।हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों कि पिछले 10 वर्षों से चिकित्सा व्यवसायियों के बीच इस तरह के कदाचार प्रचलित हैं, का खंडन किया गया है।यह दावा किया गया है कि 23.03.2010 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिकी संख्या 132 (ऊपर) दर्ज की गई थी।योग्यता के आधार पर, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 100 संदिग्ध एम. एल. आर./राय/सी. टी. स्कैन रिपोर्ट स्थानीय

पुलिस द्वारा विभिन्न निजी के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों से अपने कब्जे में ले ली गई हैं, जिन्हें विशेष चिकित्सा बोर्ड, पी. जी. आई. एम. एस., रोहतक को भेजा गया है ताकि राज्य संवर्ग के एच. सी. एम. एस. चिकित्सा अधिकारी की मिलीभगत से हिसार के निजी अस्पतालों द्वारा की गई संदिग्ध गड़बड़ी का पता लगाया जा सके।यह भी बताया गया है कि डॉ. भूप सिंह खत्री की अग्रिम जमानत याचिका 31.05.2010 पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा खारिज कर दी गई है।

हालांकि उपरोक्त डॉक्टर इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अंतरिम जमानत पर हैं, जबकि डॉ. संजय वर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को भी इस अदालत ने खारिज कर दिया है और दोनों डॉक्टर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए हैं।

(5) प्रतिवादी संख्या 5, अर्थात् ओ. पी. मित्तल, पंजीयक, हरियाणा चिकित्सा परिषद-सह-अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा एक अलग जवाब दाखिल किया गया है।अधिनियम की धारा 21 का हवाला देने के बाद, प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रस्तुत किया है कि यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी उक्त अधिनियम के किसी भी विनियमन या प्रावधान का उल्लंघन करता है, जो उसकी ओर से कदाचार के बराबर है और प्रतिवादी संख्या 5 उपरोक्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता है।भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 (संक्षिप्त के लिए 'विनियमों') के रूप में जाने जाने वाले विनियमों के अध्याय 7 और 8 का भी संदर्भ दिया गया है।14.02.2011 को , इस न्यायलय ने राज्य को उस व्यापक मुद्दे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिस पर इस न्यायलय के आदेश दिनांकित 06.09.2010 के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया गया था क्योंकि यह न्याय के प्रशासन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।यह भी निर्देश दिया गया कि झूठी और काल्पनिक चिकित्सा-कानूनी रिपोर्टों/चिकित्सा प्रमाणपत्रों के खतरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा

उठाए गए कदमों के अलावा झूठी चिकित्सा रिपोर्टों के विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।अदालत ने याचिकाकर्ता नंबर 1, हरदीप सिंह सुंदरिया को दी गई धमकियों और डराने धमकाने पर भी ध्यान दिया।यहां तक कि हिसार के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में 20.11.2010 की एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।पुलिस अधीक्षक, हिसार को की गई जांच के साथ-साथ उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज करने के अनुसार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। याचिकाकर्ता संख्या 1 की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिसार के पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।श्री अनंत कुमार धुल, आई. पी. एस., महानिरीक्षक, हिसार रेंज के शपथ पत्र के माध्यम से दायर स्थिति रिपोर्ट में निजी और साथ ही सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मामलों के विवरण का खुलासा किया गया है जो झूठे और मनगढ़ंत एम. एल. आर./राय में शामिल पाए गए हैं और साथ ही याचिकाकर्ता संख्या 1 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का भी खुलासा किया गया है जैसा कि इस अदालत द्वारा आदेश दिनांकित 14.02.2011 में निर्देश दिया गया है।हालांकि, विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था।

(6) प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने फिर से अपना जवाब महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, सेक्टर-6, पंचकूला के माध्यम से दाखिल किया, जिसमें झूठे एम. एल. आर. जारी

करने के आरोप पर आपराधिक मामले दर्ज करने का खुलासा किया गया। आदेश दिनांकित 03.06.2011 में, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इस तरह के आरोपों पर 46 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और आठ डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, जिन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था।याचिकाकर्ताओं ने अन्य दो डॉक्टरों, डॉ. विशाल गोयल और डॉ. दारा सिंह के नामों पर भी प्रकाश डाला, जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता थी। राज्य के विद्वान वकील द्वारा आश्वासन दिया गया कि

निदेशक अभियोजन प्रगति की निगरानी करेंगे और संबंधित लोक अभियोजन पक्ष के गवाहों की त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे।तदनुसार, हरियाणा राज्य में न्यायालयों के संबंधित पीठासीन अधिकारियों को जहां ऐसी कार्यवाही लंबित है एक निर्देश जारी किया गया था, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन और सुनवाई में तेजी लाए। निदेशक, अभियोजन को चार महीने के बाद ऐसे मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था।

(7) पुलिस अधीक्षक, हिसार ने फिर से एक शपथ पत्र दायर किया जिसमें दिखाया गया कि 23.03.2010 से 28.06.2011 के बीच, सरकारी/निजी डॉक्टरों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कुल 15 मामले दर्ज किए गए थे जिन्होंने झूठे एमएलआर/राय के संबंध में डॉक्टरों के साथ सांठगांठ की थी। धारा 173 Cr.P.C के तहत 10 मामलों में रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में भी दायर की गई है और चार मामलों की अभी भी जांच चल रही है।उन मामलों के संबंध में रिपोर्ट इलाक्का मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की जानी है।उपरोक्त मामलों की नवीनतम स्थिति दिखाने वाली सूची आर-1 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई।

(8) शपथ पत्र के माध्यम से दायर कार्रवाई रिपोर्ट के पैरा 3 में आगे कहा गया है कि मनगढ़ंत एम. एल. आर./बेड हेड टिकट/उपचार रिकॉर्ड जारी करने का आरोप लगाने वाली 38 और शिकायतें विशेष चिकित्सा बोर्ड, पी. जी. आई. एम. एस. रोहतक को भेजी गई हैं और तुरंत कार्रवाई की जानी है (आर-2)।इसी तरह की 37 अन्य शिकायतों के संबंध में विशेष चिकित्सा बोर्ड, पीजीआईएमएस रोहतक की राय प्राप्त हुई और एसआईटी की मदद से संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा इन शिकायतों की जांच की जा रही है और विभागीय कार्रवाई (आर-4 और आर-5) शुरू की गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत आगे की कार्रवाई रिपोर्ट में, 46 डॉक्टरों और अन्य दो डॉक्टरों में से 8 डॉक्टरों की सूची दी गई है, जो नीचे दी गई हैः

सं.	अधिकारी का नाम/ पदनाम	वर्तमान नियुक्ति स्थान	नवीनतम स्थिति	संक्षिप्त रिपोर्ट
1.	डॉ. भूप सिंह खत्री, एम. ओ	(निलंबित) डी. जी. एच. एस मुख्यालय, पंचकुला	नियम-7 के तहत	दिनांक 7.9.2010 को राज्य सरकार ने अधिकारी को नियम-7 के तहत आरोप पत्र देने का निर्णय लिया। 15.11.2010 को प्रधानाचार्या चिकित्सा अधिकारी, जनरल अस्पताल, हिसार का नियम-7 के तहत अधिकारी के खिलाफ मसौदा भेजने का निर्देश दिया। 28.6.2011, 15.7.2011, 1.8.2011, 18.8.2011 को अनुस्मारक भेजे गए। 6.9.2011 को एक डी ओ. पत्र महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से भी जारी किया गया था लेकिन अब तक मसौदा नियम-7 के अधीन कार्यालय को नहीं मिला है ।
2.	डॉ. जयवीर शर्मा एमओ (निलंबित) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, महम (रोहतक)	(निलंबित) मुख्यालय, डी. जी. एच. एस पंचकुला	नियम-7 के तहत	23.8.2011 को सिविल सर्जन रोहतक ने नियम-7 के तहत मसौदा कार्यालय को भेजा जिसको ए. डी. ए. से निरिक्षण करवा कर जरूरी कार्यवाही के लिए सरकार को भेजा।
3.	डॉ. महेश राणा,एम. ओ.	निलंबित मुख्यालय, डीजीएचएस पंचकुला	नियम-7 के तहत	श्री एम. के. मिड्ढा आई ए एस (सेवानिवृत्त) जांच अधिकारी ने नियम-7 के तहत जांच की। 21.8.2011 को जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी गई। बाद में सरकार ने उक्त आरोपों को आदेश संख्या 17/68/20024 एच. बी.-I दिनांकित 6/8.9.2011 के द्वारा हटाने का निर्णय लिया।

सं.	अधिकारी का नाम/ पदनाम	वर्तमान नियुक्ति स्थान	नवीनतम स्थिति	संक्षिप्त रिपोर्ट
4.	डॉ. जोगिंदर कपूर, एम ओ	टीबी हस्पताल, हिसार	____	हस्पताल-सिविल सर्जन हिसार ने उनके पत्र संख्या 710 द्वारा।
5.	डॉ. ए. के. राणा, एम. ओ. (अब एस ऍम ओ)	सी. एच. सी. सोरखी	___	22.7.2011, को बताया कि उनके कार्यालय में डॉ.जोगिंदर कपूर, मेडिकल अधिकारी और डॉ. ए. के. राणा, चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ लिया गया पुलिस या न्यायिक कार्रवाई बारे उनके कार्यलय में कोई जानकारी नहीं है
6.	डॉ. दिनेश कुमार प्रजापत एम. ओ.	जनरल-अस्पताल हिसार	___	एमओ ने अपना त्यागपत्र दिया जिसे 18.12.2010 को सरकार ने एंडस्ट संख्या 21/96/2011-6एच.बी. दिनांकित 6.7.2011 द्वारा स्वीकार किया

7. डॉ. वाई. पी. वर्मा,	पी. जी. आई. एम. एस., रोहतक	__	प्रधान चिकित्सा अधिकारी, हिसार द्वारा उसके पत्र संख्या स्टेनो 1/1412
8. डॉ. तेजपाल शर्मा, एम. ओ	जनरल अस्पताल, हिसार	__	दिनांकित 29.9.2011 को बताया कि उनके कार्यालय में मेडिकल अधिकारी के खिलाफ लिया गया पुलिस या न्यायिक कार्वाई बारे उनके कार्यलय में कोई जानकारी नहीं है

आदेश में उल्लिखित दो डॉक्टरों डॉ. विशाल गोयल और डॉ. दारा सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है:-

सं.	अधिकारी का नाम/ पदनाम	वर्तमान नियुक्ति स्थान	नवीनतम स्थिति	संक्षिप्त रिपोर्ट
1.	डॉ. दारा सिंह, एमओ	निलंबित, मुख्यालय अम्बाला	नियम-7 के तहत	दिनांक 3.8.2011 प्रधान चिकित्सा अधिकारी, भिवानी ने डॉ. दारा सिंह, एमओ(निलंबित) के खिलाफ नियम-7 के तहत एक मसौदा इस कार्यालय को भेजा जिसका एडीए से निरिक्षण करवाया और 4.8.2011 को सरकार को भेज दिया लेकिन 23.08.2011 को कानूनी अनुस्मारक, हरियाणा द्वारा उठाई गयी आपत्तियों अनुसार सरकार न वापिस भेज दिया जिसे आपत्तियां दूर करने के बाद 3.10.2011 को एल. आर. से निरिक्षण हेतु सरकार को भेज दिया
2.	डॉ. विशाल गोयल **एमओ (निलंबित) समान्य हस्पताल हिसार**	**(निलंबित) मुख्यालय, समान्य हस्पताल, कैथल**		**सिविल सर्जन हिसार** को 11.3.2011 को **आवश्यक कार्रवाई हेतु नियम-7 के तहत मसौदा भेजने के लिए प्रार्थना की गयी 6.5.2011 और 5.9.2011 को अनुस्मारक भेजे गए सिविल सर्जन हिसार की तर्फ से मसौदे की प्रतीक्षा**

(ए सी जे न्यामूर्ति एम. एम. कुमार,)

(9) जिन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें डॉ. आर. पी. शर्मा, एस. एम. ओ., जनरल अस्पताल, भिवानी और डॉ. एडविन, एस. एम. ओ., के. एल. जालान अस्पताल, भिवानी शामिल हैं।उन दोनों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 1987 (संक्षिप्तता के लिए 'नियमों') के नियम-7 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।आठ डॉक्टरों की एक और सूची है, जिनके खिलाफ नियम 7 या नियम 8 के तहत कार्रवाई की गई है, जिनके नाम (i) डॉ. जे. पी. चौहान, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कलानपुर; (ii) डॉ. माखन लाल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अंतरी, नारनौल; (iii) डॉ. एस. एच. सहगल; (iv) डॉ. अर्चना सोनी और (v) डॉ. जी. एस. नरवाल, सभी सामान्य अस्पताल, करनाल से; (vi) डॉ. कुलदिप सिंह राणा, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, जींद; (vii) डॉ. करण सिंह, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोहिंदरगढ़; (viii) डॉ. सर्वपाल सिंह भाटिया, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, रोहतक; (ix) डॉ. अधिस्वर चिकित्सा अधिकारी, जिला जेल करनाल और (x) डॉ. रमेश कामरा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भुना, (फतेहाबाद)।

(10) निदेशक अभियोजन, श्री एच. आर. जन्नी ने एक शपथ पत्र भी दायर किया है जिसमें दिखाया गया है कि झूठे एम. एल. आर. तैयार करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ 14 मामले प्रतिवादी राज्य के पांच जिलों की विभिन्न अदालतों में लंबित थे।भा.दं.सं. सी. की खंड 420,467,468,471,120-बी, पी. एस. सिटी, भिवानी के तहत 2010 की मामला प्राथमिकी आर. संख्या 697; भा.दं.सं. सी. की धारा 195,196,420 और 120-बी, पी. एस. रतिया, फतेहाबाद के तहत प्राथमिकी आर. संख्या 72 दिनांक 09.02.2011; भा.दं.सं. सी. की धारा 420,464,468,471,465,440,195,197,327 और 34, पी. एस. सिटी, हांसी, हिसार के तहत एफ़. आई. आर. सं. 488, दिनांक आई. डी. 1; भा.दं.सं. सी. की धारा 120-बी, 195,196,197,198,420,465,468 और 471 और पी. सी. अधिनियम, पी. एस.

सिविल लाइन्स, हिसार की धारा 8/आई. डी. 2 के तहत प्राथमिकी संख्या 300, दिनांक 23.6.2010; भा.दं.सं. सी. की धारा 155,420,307 और पी. सी. अधिनियम, पी. एस. सिटी हिसार के तहत प्राथमिकी आर. सं. 1021, दिनांक आई. डी. 1; भा.दं.सं. सी. की धारा 307,323,125,506, पी. एस. सिटी, हांसी, हिसार के तहत प्राथमिकी आर. सं. 134, दिनांक 22.09.2008; भा.दं.सं. सी. की धारा 195,196,197,307,420,468,120-बी और पी. सी. अधिनियम, पी. एस. सिटी, हिसार की खंड 7/8/9 12/13/34 के तहत एफ़. आई. आर. सं. 365, दिनांक 16.04.2010 भा.दं.सं. सी. की धारा 420,195,511 और 34, पी. एस. हिसार के तहत एफ़. आई. आर. सं. 132, दिनांक 23.03.2010; भा.दं.सं. सी. की धारा 195,196,197,420,468 और 120-बी, पी. एस. सदर, हिसार के तहत प्राथमिकी आर. सं. 612, दिनांक आई. डी. 1; भा.दं.सं. सी. की धारा 323,324,34,193,196,420,468 और 120-बी, पी. एस. सदर, हिसार के तहत एफ़. आई. आर. सं. 125, दिनांक आई. डी. 1; भा.दं.सं. सी. की धारा 307,329,425,197,120-बी, पी. एस. हिसार के तहत प्राथमिकी आर. सं. 180, दिनांक 11.2.2010; धारा 323,506,326,452,193,196,420 के तहत प्राथमिकी आर. सं. 109, दिनांक 05.03.2010,

120-बी भा.दं.सं. सी. पी. एस. सदर, हांसी, हिसार; भा.दं.सं. सी. की धारा 323,324,325,307,148,149,217,218, पी. एस. पुंड्री, कैथल और भा.दं.सं. सी. की धारा 420,467,468 और 471, पी. एस. सिटी, यमुना नगर के तहत भा.दं.सं. सी. की धाराओं के तहत भा.दं.सं. आर. संख्या 268, दिनांक प्राथमिकी 1 को तालिका में सूचीबद्ध किया गया है।प्रतिवादी संख्या 1 और 4 द्वारा एक और स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है।इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के अनुसार आठ डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी की जानी थी।यह स्थिति रिपोर्ट दिनांकित 24.10.2011 उसी अधिकारी द्वारा दायर की गई पिछली स्थिति रिपोर्ट से अलग नहीं है।

(11) 31.10.2011 को अभियोजन निदेशक ने भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, कैथल और यमुना नगर की अदालतों में लंबित विभिन्न प्राथमिकियों में अभियोजन की

स्थिति फिर से दायर की है, जिसका संदर्भ पहले के पैरा में पहले ही दिया जा चुका है।

(12) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और हमारा विचार है कि प्रतिवादी-राज्य और अभियोजन निदेशक उन डॉक्टरों और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक और अनुशासनात्मक मामलों की पैरवी कर रहे हैं जो मनगढ़ंत और झूठे एम. एल. आर. जारी करने के कदाचार में लिप्त हैं।प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रयासों और समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के कारण, उत्तरदाता बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में समर्थ हुए हैं जो स्वयं दर्शाते हैं कि मनगढ़ंत रिपोर्ट जारी करने से संबंधित राक्षस को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है।जैसा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, हरियाणा, चंडीगढ़ और अभियोजन निदेशक द्वारा क्रमशः दायर विभिन्न कार्रवाई रिपोर्टों और स्थिति रिपोर्टों के अवलोकन से स्पष्ट है, धोखाधड़ी करने वाले और गलती करने वाले डॉक्टरों पर विभागीय स्तर पर या आपराधिक मुकदमे के माध्यम से आरोप लगाए जा रहे हैं।प्रतिवादी द्वारा बताए गए उपरोक्त तथ्य और आंकड़े उनके द्वारा उठाए गए कुछ संतोषजनक कदमों का संकेत देते हैं।मनगढ़ंत, झूठी और अर्जित चिकित्सा रिपोर्ट या अन्य संबंधित सामग्री के राक्षस को पूरी तरह से काबू में करने के लिए जो सीधे न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ऐसी बीमारी को शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाए।इसलिए, हम महसूस करते हैं कि कुछ निर्देश आवश्यक होंगे, जो नीचे दिए गए हैं:

(क) स्पेशल मेडिकल बोर्ड, पीजीआईएमएस, रोहतक और एसआईटी को एक संदर्भ दिया गया है। हमें लगता है कि ये दोनों एजेंसियां एक-दूसरे के साथ समन्वय में नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेंगी।

यदि किसी भी पुलिस स्टेशन में झूठी और काल्पनिक चिकित्सा रिपोर्ट या अन्य संबंधित मुद्दे से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो एस. आई. टी. की मदद से इसकी जांच की जानी चाहिए। इस मामले को विशेष चिकित्सा बोर्ड, पीजीआईएमएस, रोहतक को उसकी राय के लिए भेजा जाए।इन एजेंसियों द्वारा की गई प्रगति को फरवरी 2012 के अंत तक स्थिति रिपोर्ट के रूप में दाखिल किया जाना चाहिए, जिसे इस न्यायालय के समक्ष रखा जाए। स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति दो सप्ताह पहले निदेशक अभियोजन, हरियाणा को भी भेजी जानी चाहिए।निदेशक अभियोजन, हरियाणा भी झूठी, मनगढ़ंत और प्राप्त चिकित्सा रिपोर्टों और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित इन सभी मामलों के अभियोजन के चरण का खुलासा करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट भेजेगा।इसमें किसी भी नवीनतम शिकायत की स्थिति और निदेशक अभियोजन, हरियाणा द्वारा फरवरी, 2012 के अंत तक दायर की जाने वाली स्थिति रिपोर्ट भी शामिल होगी, जिसे इस न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है।

(ख) किसी भी अन्य शिकायत को प्रकट और सामने लाने के लिए, प्रतिवादी-हरियाणा राज्य अपने मुख्य सचिव द्वारा से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस मुद्दे का व्यापक प्रचार करेगा।इस संबंध में गलत, मनगढ़ंत और प्राप्त चिकित्सा रिपोर्टों और अन्य संबंधित मुद्दों की शिकायतें आमंत्रित करने के लिए प्रिंट मीडिया में एक सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए।अंग्रेजी दैनिक 'द ट्रिब्यून', 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'हिंदुस्तान टाइम्स' समाचार पत्रों को शामिल करके प्रिंट मीडिया में नोटिस जारी किया जाएगा।इसी तरह, हिंदी दैनिक 'पंजाब केसरी' और 'भास्कर'।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, इस तरह की जानकारी को आम जनता को झूठे, मनगढ़ंत और प्राप्त चिकित्सा रिपोर्टों से संबंधित शिकायतें आमंत्रित करने के लिए नोटिस के साथ प्रसारित किया जाना चाहिए।इस संबंध में व्यापक दर्शकों वाले वास्तविक चैनलों का चयन हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा किया जा सकता है।

(ग) डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में स्थिति रिपोर्ट वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और कल्याण विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के चरण के साथ

दायर की जानी चाहिए। आवश्यक कार्य फरवरी, 2012 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

(घ) याचिकाकर्ता और जनता का कोई अन्य सदस्य इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका के विषय से संबंधित कोई अन्य आवेदन दायर कर सकते हैं। रजिस्ट्री उसे इस पीठ के समक्ष रखेगी।

(13) तदनुसार, रिट याचिका का उपरोक्त शर्तें में निपटारा किया जाता है।

(14) इस आदेश की एक प्रति पीठ सचिव के हस्ताक्षर के तहत श्री कुलवीर नरवाल को विद्वान ए. जी., हरियाणा को संबंधित क्षेत्रों में भेजने के लिए दी जाये।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)